Hindustan - New Delhi - 06 - 02 - 2011

विधि पत्रकारिता में कोर्स का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट को लगा कि लीगल रिपोर्टिंग का स्तर वह नहीं, जो होना चाहिए

श्याम सुमन

नई दिल्ली

कानूनी और कोर्ट के मामलों की पत्रकारिता के लिए स्नातक स्तर पर एक नया कोर्स शुरू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कोर्स का खाका तैयार कर रहा है जिसे पत्रकारिता पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय को भेजा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया है कि लीगल मसलों की रिपार्टिंग का स्तर वह नहीं है जो होना चाहिए। कई बार अनुभवी पत्रकार भी कोर्ट की कार्यवाहियों और फैसलों की रिपोर्टिंग में गलतियां कर देते हैं। इसकी वजह पत्रकारिता कोर्स में लीगल रिपोर्टिंग की उचित ट्रेनिंग न होना है। सूत्रों के अनुसार, कोर्ट ने प्रस्ताव रखा है कि लीगल रिपोर्टिंग का पूरे कोर्स में एक पूर्ण पेपर शामिल किया जाए। 100 नंबर के इस पेपर में लीगल रिपोर्टिंग के सभी प्रायोगिक और सैद्धांतिक पक्ष होंगे जिन्हें पढ़ाने के लिए अनुभवी शिक्षकों को रखा जाएगा।

इस कोर्स को पास करने के बाद पत्रकार यदि किसी मीडिया से जुड़ता है और तो वह बिना किसी अनुभव और विधिक शिक्षा के कोर्ट रिपोर्टिंग कर सकता है। शीर्ष अदालत के सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय नए कोर्स के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। देश के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी मिलते ही इस प्रस्ताव को मानव संसाधन मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। फिलहाल निचली अदालतों की रिपोर्टिंग के लिए कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। हाईकोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारिता में पांच वर्ष का अनुभव जरूरी है।

हालांकि यह नियम हर हाईकोर्ट में लागू नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में यह नियम बिल्कुल अलग है। यहां रिपोर्टिंग के लिए विधि स्नातक होने के साथ सात वर्ष की कानूनी रिपोर्टिंग का अनुभव होना जरूरी है।

लीगल कोर्स

- कोर्स के खाके पर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है विचार
- पूरे कोर्स में एक पूर्ण पेपर शामिल करने का प्रस्ताव

हिन्दुस्तान
एक्सक्लूसिव